

1-10-19

पत्रावली पेश है। पक्षकारान वकील उपस्थित
वादीगण समय वकील उपस्थित होकर प्राथमिक पेश
कर निवेदन किया है कि पक्षकारों में राजीनामा
हो गया है इसलिये वाद को उकांगे नहीं चलाना
चाहते हैं उक्त प्राथमिक पर वकील प्रतिवादी
ने No Objection किया है। वादीगण द्वारा
वाद विहा करना चाहते हैं अतः वादीगणों
का प्राथमिक 151 CPC विहा का स्वीकार कर
वाद वादीगण विहा कि ये जाने पर स्वीकार
करने का आदेश दिया जाता है। निर्णय सुने
न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली
निर्णय सुनाए होकर नम्बर से काम होकर
हारिवेल दफ्तर हो।

11/10/19
उप खण्ड अधिकारी
साँवर लेक